

12-7-21

पतावली पेश हुई वकील महानगर म. उपायित /
वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दि. 29-7-21 की
पतावली के अनुसार प्रार्थी गणों के राजीनामा होने
पर बाद आगे वही चलाने हेतु निर्दिष्ट किया है
वादी के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रो. ए. डी. भी
को आबे नेशन किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी
की नगर नगर बाद वादी का चिट्ठी में खारिज
किया जाता है। आदेश मुक्त न्यायालय में -
शुनाया गया वादिया की महानगर की
दि. द्वारा की गई। पतावली में सल शुमार होकर
वकील से काम होकर दारिद्र्य दफ्तरी हो।

क्र. 54/21

~~...~~
I d...
...

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
साबर मक

